



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 माघ 1939 (श10)
(सं0 पटना 74) पटना, वृहस्पतिवार, 25 जनवरी 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

25 जनवरी 2018

अधिसूचना संख्या 07/2018 - राज्य कर (दर)

एस०ओ० 135, दिनांक 25 जनवरी 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 11 की उप धारा (1) एवं (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते बिहार राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद द्वारा वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 जिसे संख्या 545 दिनांक 29 जून, 2017 के तहत बिहार राजपत्र, असाधारण अंक, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,

(1) अनुसूची में, -

- (i) क्रम संख्या 102 में, कॉलम (3) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी है, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य, सूखी और पुआल, दालों का अनुपूरक और भूसी, सांद्रण और योज्यक, गेहूं का चोकर और तेल निकाला गया केक [राइस ब्रान से भिन्न] को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 102क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा: -

“102क	2302	तेल रहित राइस ब्रान
102ख	2306	बिनौले की खली”;

- (iii) क्रम संख्या 136क के समक्ष, कॉलम (2) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “7117” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 137 में, कॉलम (3) में “कृषि, बागवानी या वानिकी में प्रयोग किए जाते हैं”, शब्दों के स्थान पर” घमेला से भिन्न” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 148 में, कॉलम (3) के बिंदु (v) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “विभूति” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 150 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; यथा -

“151	कोई भी अध्याय	“सुनाई देने में सहायक उपकरण संबंधित कलपुर्जे”;
------	---------------	--

2. यह अधिसूचना 25 जनवरी, 2018 से लागू होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-I)-07 Rate)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
प्रधान सचिव।

25 जनवरी 2018

एस०ओ० 135, 25 जनवरी 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-I)-07 Rate)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
प्रधान सचिव।

The 25th January 2018

Notification No. 7/2018-State Tax (Rate)

S.O. 135, dated 25th January 2018— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Commercial Taxes Department Notification No. 2/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 545, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (1) in the Schedule,
- (i) in S. No. 102, for the entry in column (3), the entry “Aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed & cattle feed, including grass, hay & straw, supplement & husk of pulses, concentrates & additives, wheat bran & de-oiled cake [other than rice-bran]”, shall be substituted;
- (ii) for S. No. 102A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“102A	2302	De-oiled rice bran
102B	2306	Cotton seed oil cake”;

- (iii) against S. No. 136A, in column (2), for the entry, the entry “7117” shall be substituted’;
- (iv) in S. No. 137, in column (3), after the words “used in agriculture, horticulture or forestry” the words, “other than ghamella”, shall be added;
- (v) in S. No. 148, for the entry in column (3), for the entry against item number (v), the entry “Vibhuti”, shall be substituted;
- (vi) after S. No. 150 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“151	Any chapter	“Parts for manufacture of hearing aids”;
------	-------------	--

2. The notification shall come into force on the 25th January,

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017(Part-I)-07 Rate)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 74-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>